दिनांक 20.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 26/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा डेनमार्क में आयोजित 15वें ''वर्ल्ड फायर फाइटर्स गेम्स–2024'' में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवायें के कर्मियों को सम्मानित किया गया

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दिनांकः 07.09.2024 से 14.09.2024 तक ऑलमबर्ग, डेनमार्क में आयोजित **15वें ''वर्ल्ड फायर फाइटर्स गेम्स–2024''** में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक प्राप्त करने वाले उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवायें के कर्मियों को पुलिस मुख्यालय में सम्मानित किया गया तथा पदक प्राप्त करने वाले कर्मियों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह प्रदान किये जाने की घोषणा की गयी।

उक्त प्रतियोगिता में उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवायें के कर्मियों को **12 पदक** प्राप्त हुये। पदक प्राप्त करने वाले कर्मियों का विवरणः–

- **मुख्य आरक्षी चालक आनन्द प्रताप सिंह**, नियुक्ति फायर स्टेशन लालगंज, रायबरेली को शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो व 100 X4 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल प्राप्त हुये।
- **मुख्य आरक्षी चालक धर्मेन्द्र प्रताप सिंह**, नियुक्ति फायर स्टेशन सिविल लाइन्स, प्रयागराज को 400 मीटर व 100X4 मीटर रिले रेस में गोल्ड तथा 100 मीटर व 200 मीटर रेस में सिल्वर मेडल प्राप्त हुये।
- **आरक्षी फायरमैन जितेन्द्र कुमार यादव**, नियुक्ति अग्निशमन मुख्यालय लखनऊ को जैवलिन थ्रो में गोल्ड, ट्रिपल जम्प में सिल्वर, 67 कि0ग्रा0 भार वर्ग कुश्ती में सिल्वर व डिस्कस थ्रो में ब्रॉज मेडल प्राप्त हुये।

मुख्य आरक्षी चालक आनन्द प्रताप सिंह

मुख्य आरक्षी चालक धर्मेन्द्र प्रताप सिंह

आरक्षी फायरमैन जितेन्द्र कुमार यादव

दिनांक 20.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 27/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर

- **50–50 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत के चोरी के 28 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 19.09.2024 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन मुंशीपुरा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–शेखर 2–छोटू कुमार सहित अभियुक्त 3–गोलकिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत के चोरी के 28 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शेखर एवं छोटू कुमार शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद मऊ से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50–50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शेखर निवासी महाराजपुर थाना तालझारी जनपद साहेबगंज झारखण्ड।

2–छोटू कुमार निवासी महाराजपुर नया टोला थाना तालझारी जनपद साहेबगंज झारखण्ड।

3–गोलकिया निवासी महाराजपुर नया टोला थाना तालझारी जनपद साहेबगंज झारखण्ड।

बरामदगी

1–लगभग 07 लाख रूपये कीमत के चोरी के 28 मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना देवबन्द

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 20.09.2024 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिलर नम्बर–2 देवबन्द के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शमशेर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना देवबन्द पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था

इस सम्बन्ध में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शमशेर निवासी अनूपगढ थाना सदर जनपद जिन्द हरियाणा।

जनपद सहारनपुर/थाना चिलकाना

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 20.09.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुल्तानपुर बाईपास तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त परवेज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना रामपुर मनिहारन पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था

इस सम्बन्ध में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–परवेज निवासी ग्राम तुरमतखेडी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

जनपद रामपुर/थाना अजीमनगर

- **10—10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 20.09.2024 को थाना अजीमनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मिलक खानम रोड के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—अब्दुल 2—मोहम्मद हनीफ उर्फ मम्मद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना अजीमनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10—10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था

इस सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अब्दुल निवासी नंगलिया आकिल थाना अजीमनगर जनपद रामपुर।

2—मोहम्मद हनीफ उर्फ मम्मद निवासी नंगलिया आकिल थाना अजीमनगर जनपद रामपुर।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद पीलीभीत/थाना सुनगढ़ी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का पिकअप वाहन**
- **लूट के 05 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 20.09.2024 को थाना सुनगढ़ी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माधौटाण्डा बाईपास रोड पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही

में 03 अभियुक्तों 1–मुजम्मिल 2–नबी शेख उर्फ नबिया 3–सलीम को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 05 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, लूट का पिकअप वाहन, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.09.2024 को थाना सुनगढ़ी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सुनगढ़ी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, वाहन आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सुनगढ़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुजम्मिल निवासी खाई डोरा बीबी सराय थाना कोतवाली जनपद हाथरस।

2–नबी शेख उर्फ नबिया निवासी कुमरई थाना चंदपा जनपद हाथरस।

3–सलीम निवासी ग्राम निसातबाग थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–लूट के 05 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन।

2–लूट का पिकअप वाहन।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 55 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 06 किलो 216 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कैन्टर बरामद**

दिनांक 19.09.2024 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मननधाम रेलवे फाटक के पास से अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ बब्लू को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 55 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 06 किलो 216 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 कैन्टर बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वीरेन्द्र उर्फ बब्लू निवासी ग्राम पारोली थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—लगभग 55 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 06 किलो 216 ग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त 01 कैन्टर।

- **जनपद इटावा/थाना इकदिल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 40—40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना इकदिल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/120बी भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—अमित उर्फ बरूआ 2—अनुज कुमार उर्फ बौना 3—रिषी उर्फ मोनू उर्फ सुखवीर 4—गुट्टे उर्फ नीतेश को आजीवन कारावास व 40—40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गोरखपुर/थाना चिलुआताल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना चिलुआताल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—जयप्रकाश 2—जितई उर्फ जितेन्द्र 3—तैयूम उर्फ कुटुर 4—साहब अली 5—धर्मपाल को आजीवन कारावास व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना अमरोहा नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–आजाद 2–मुस्तकीम को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना पिपराईच (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना पिपराईच पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304(1) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शंभू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————